UPRB010035402026

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायबरेली
पीठासीन अधिकारी–श्री अनिल कुमार पंचम (उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP6045
प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1489/2026

UPRB010040892026

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायबरेली
पीठासीन अधिकारी–श्री अनिल कुमार पंचम (उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP6045
प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1768/26

1–विवेक यादव उर्फ विनय उम्र करीब 27 वर्ष पुत्र सुरेश यादव निवासी म०नं0–28 रिवर बैंक कालोनी, निकट सिटी रेलवे स्टेशन थाना वजीरगंज जिला लखनऊ पश्चिमी कमिश्नरेट लखनऊ

..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

1– उ०प्र० राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

..... अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या–39/2026
अं०धारा–316(2),319(2),318(4),338,336(3),340(2),352,351(3) बी०एन०एस०
एवं धारा 66 सी०, 66 डी० आई टी एक्ट
थाना– कोतवाली नगर, जिला– रायबरेली

दिनांक–22.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **विवेक यादव उर्फ विनय** की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या–39/2026, अं०धारा– 316(2),319(2),318(4),338,336(3),340(2),352,351(3) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66 सी०, 66 डी० आई टी एक्ट, थाना–कोतवाली नगर, जिला–रायबरेली के मामले में प्रस्तुत किया गया है। उक्त मुकदमें में धारा 66 सी०, 66 डी० आई टी एक्ट की दौरान विवेचना बढ़ोत्तरी की गयी, जिसका प्रार्थनापत्र पृथक रूप से प्रस्तुत किया गया है, किन्तु मुकदमा अपराध एक दूसरे से सम्बन्धित होने के कारण दोनों प्रार्थनापत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि " प्रार्थी की माह जुलाई 2025 में प्रतिपक्षी सं0–1 से जरिये फोन बातचीत होने के पश्चात जान पहचान हो गयी थी और प्रतिपक्षी सं0–1 ने दौरान बातचीत प्रार्थी से बताया कि मैं लखनऊ में एडवोकेट हूं एलडीए में अधिकारियों से अच्छी जान पहचान है, मैं तुम्हे लखनऊ में पीएमआवास का सस्ता फ्लैट दिलवा सकता हूँ। प्रतिपक्षी ने प्रार्थी को विश्वास मे लेते हुये अपनी लुभावनी बातों के जाल में फंसाकर बहला फुसलाकर कर पीएम आवास योजना के तहत लखनऊ में

प्रार्थिन पत्नी संगीता चौरसिया के नाम फ्लैट दिलाने के नाम पर षडयंत्र कर सुनियोजित तरीके से प्रार्थी से से प्रार्थी की पत्नी आधार कार्ड पैन कार्ड, फोटो, बैंक पास बुक अपने वाट्सअप पर मंगाकर फर्जी आवेदन फार्म एवं अपना स्कैनर प्रार्थी के वाट्सअप पर भेजकर अपने स्कैनर पर ...कुल मु0–1,11,000/– रू0 मंगाया गया। तत्पश्चात प्रतिपक्षी स–3 अभिमन्यु सिंह जो प्रतिपक्षी सं0–1 के गैंग का सदस्य है, ने प्रार्थी को फोन करके बहला फुसलाकर प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी, छल कपट व ब्लैकमेलिंग करते हुये प्रार्थी से अपनी पत्नी प्रतिपक्षी सं0–4 रश्मी यादव के स्कैनर पर विभिन्न तिथियों में लगभग मु0–1,97,500/– रू0 कई बार में मंगाये गये। तत्पश्चात प्रतिपक्षी सं–1 व 3 द्वारा फ्लैट आवंटन की बावत फर्जी आवेदन फार्म एवं दिये गये रूपये के सम्बन्ध में एलडीए के सिम्बल सहित कुछ कूटरचित हस्ताक्षरित रसीदें मु0–1,97,500/–रू0 व एलडीए के कर्मचारियों व अधिकारियों के हस्ताक्षरित कूटरचित प्रपत्र (निर्णय, आदेश), फ्लैटों का फर्जी कब्जा लेटर भी विभिन्न तिथियों में प्रार्थी के व्हाट्सएप नं0–8799623174 पर भेजे गये जो प्रार्थी के पास सुरक्षित है तत्पश्चात आशंका होने पर प्रार्थी ने प्रतिपक्षी सं0–3 के बारे में एवं उसके द्वारा फ्लैट की बावत भेजे गये प्रपत्रों के बारे में एलडीए में जानकारी की गयी तो पता चला कि एलडीए में अभिमन्यु सिंह नाम का कोई अधिकारी नहीं है और प्रतिपक्षी सं 1 व 3 द्वारा भेजे गये प्रपत्र फर्जी हैं। प्रार्थी ने दिनांक 28.11.2025 को कहा कि एलडीए में अभिमन्यु सिंह नाम का कोई अधिकारी नहीं है, आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। जिस पर प्रतिपक्षी मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियां दिया एवं रूपये मांगने पर जान से मारने की धमकी दिया।"

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र संक्षिप्तः इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है। प्रार्थी उक्त अपराध में दिनांक–14.05.2026 से लगातार जिला कारागार में बेकसूर होते हुये निरूद्ध है। वादी द्वारा प्रेषित धनराशि जमा हुई कि नही इसका भी सत्यापन करने व जानने की कोशिश नहीं करता है। वादी द्वारा आज तक प्रार्थी से मिलने की कोई कोशिश नही किया। रिपोर्ट के अनुसार भी वादी का पूरा कथानक केवल दूरसंचार माध्यम मोबाईल फोन है पूरा मामला साईबर काईम से सम्बन्धित है। वादी द्वारा कानूनी जामा पहनाकर तीन लाख आठ हजार पांच सौ रू० का मामला गढ़ा गया और बताया गया कोई एडवोकेट बिना तस्दीक किये बिना मिले इतना धनराशि अन्जान व्यक्ति को जिससे केवल फोन पर बातचीत करता है, नही दे सकता। साइबर क्राईम क्षेत्र से सम्बन्धित का मामला होने के बावजूद साइबर थाने द्वारा कोई विवेचना नही की जा रही है। प्रार्थी द्वारा वादी अथवा उसकी पत्नी के साथ कोई एग्रीमेन्ट नही किया गया है। कथित प्राथमिकी के अनुसार प्रार्थी ने स्वयं अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर से किसी जंगम सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कूटरचना किये जाने अथवा ऐसी सम्पत्ति या प्रतिभूति को प्राप्त करने या परिदत्त नही किया गया है। वादी द्वारा विभागीय जांच के उपरान्त थाने पर दी गई तहरीर के कथनानुसार भी प्रार्थी द्वारा अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर अथवा किसी अन्य के नकल करके बनाये गये हस्ताक्षर हैण्डराईटिग की पुष्टि नही होने से किसी कूटरचित दस्तावेज को बेईमानीपूर्ण आशय या कपटपूर्ण तरीके से उपयोग में भी नही लाया गया है, वादी का अथवा नामजद अभियुक्तो से प्रार्थी का कोई सम्बन्ध आन लाईन अथवा आफ लाईन स्थापित नही है। प्रार्थी का नामजद अभियुक्तो से कोई सम्बन्ध कोई लिंक साबित नहीं होता है। कथित प्राथमिकी के पूर्व

लिखी गई फर्द में न तो किसी जी०डी० नम्बर का उल्लेख है और न ही कोई समय दिया गया है। वादी अथवा उसकी पत्नी से प्रार्थी आज तक नही मिला, प्रथम सूचना रिपोर्ट में अन्य अभियुक्तों से प्रार्थी का, किसी घटना का, किसी बातचीत का, आई०डी० इस्तेमाल आदि का दूर दूर तक कोई कनेक्शन स्थापित ही नही होता है। प्रार्थी का पूर्व में कोई अपराधिक इतिहास भी नही है। बेकसूर प्रार्थी द्वारा न तो फर्जी एलडीए अथवा रसीदे को बनाया न ही कोई अन्य दस्तावेज बनाया, और न ही इनमें कही भी प्रार्थी के हस्ताक्षर अथवा अन्य किसी लोक सेवक के प्रार्थी द्वारा फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये है और न ही इसका कोई साक्ष्य है। वादी द्वारा फर्जी तैयार की गई दस्तावेज के अनुसार भी उसके द्वारा स्वयं न तो कोई प्रतिरूपण किया गया और न ही ऐसी कोई छापने वाली मशीन पुलिस द्वारा बरामद है। वादी ने स्वयं ही सुलह समझौता करके प्रार्थी के घरवालो से 2,45,000 रू0 बैंक आफ बड़ौदा आन लाईन आर.टी.जी.एस. से तथा एक लाख चेक से नगद 5,000 रू0 कुल 3.50,000 रु० प्राप्त कर चुका है। अब कोई विवाद शेष नहीं रह गया है। वादी/प्रथम पक्ष द्वारा किये गये सुलह समझौता की प्रति माननीय महोदय के अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है। प्रार्थी निर्दोष है। उसके भागने या फरार होने की कोई सम्भावना नहीं है। वह विचारण के दौरान प्रत्येक पेशी समय से हाजिर अदालत रहेगा और विचारण जल्द समाप्त करने में भी अपना पूरा सहयोग प्रदान करने के लिये वचनबद्ध रहेगा और वह दौरान विचारण अपनी विश्वसनीय जमानते देने को तैयार है। प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नही है। प्रार्थी/अभियुक्त के किसी तथ्य से कूटरचना भी साबित नही होती है प्रार्थी को गलत तथ्यों के आधार पर पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी का पूर्व में कोई अपराधिक इतिहास नही है। उसके द्वारा बेईमानीपूर्ण आशय से किसी भी प्रकार से कोई धोखाधड़ी व कूटरचना नही की गई है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उक्त आधारों पर जमानत प्रदत्त किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया कि, अभियुक्त के खाते में वादी मुकदमा के खाते से धनराशि जाना प्रमाणित है। प्रकरण प्रतिरूपण द्वारा छल, मूल्यवान प्रतिभूति या किसी मूल्यवान की रचना या अन्तरण के प्राधिकार या किसी धन आदि को प्राप्त करने के प्राधिकार की कूटरचना एवं धोखाधड़ी कर रूपया हड़पने के अपराध से संबंधित है। अभियुक्त जमानत पर रिहा किया गया तो जमानत की शर्तों का दुरुपयोग करने व फरार होने तथा साक्ष्य व साक्षियों को प्रभावित करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

उल्लेखनीय है कि, अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०), रायबरेली द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि, अभियुक्त के द्वारा वादी मुकदमा के साथ छल, कपट, धोखाधड़ी व षडयंत्र करते हुए व कूटरचित हस्ताक्षरित रसीदें व एल०डी०ए० के

अधिकारियों के हस्ताक्षरित कूटरचित प्रपत्र एवं फ्लैटों के फर्जी कब्जा लेटर भेजकर उसके 3,08,500/– रूपये हड़पने का आरोप है।

उल्लेखनीय है कि, पत्रावली पर उपलब्ध पर केस डायरी संख्या–8 के पृष्ठ संख्या–3 पर अवलोकन आनलाइन पेमेण्ट रिसिप्ट द्वारा उल्लेख किया गया है कि, "वादी मुकदमा द्वारा फोनपे के माध्यम से कुल 308,500 रूपयों का आदान प्रदान भिन्न भिन्न खातों में आन लाइन किया गया है।" एवं केस डायरी संख्या–8 के पृष्ठ संख्या–4 पर अवलोकन एल०डी०ए० पेमेण्ट रिसिप्ट....द्वारा उल्लेख किया गया कि, नाम संगीता चौरसिया निवासी 330/30 अमर नगर अमर कोठी रायबरेली रूपया 10,000/ दिनांक 27/04/22, ... रूपया 45,000/ दिनांक 18/11/22, ...रूपया 90,000/ दिनांक 27/10/25, ... रूपया 15,000/ दिनांक 27/10/25, ... रूपया 14,000/ दिनांक 29/10/25, ... रूपया 23,500/ दिनांक 20/11/25 अंकित है। ... एल०डी०ए० से सम्बन्धित दस्तावेजों को प्राप्त किया गया।" तथा केस डायरी संख्या–17 के पृष्ठ संख्या–4 पर विवेचक द्वारा विवेचना करते हुए उल्लेख किया गया कि, उपरोक्त का अभि० विवेक कुमार यादव उर्फ विनय पुत्र सुरेंद्र यादव ही अभिमन्यु सिंह है, जो अपने फोन से मैसेज के माध्यम अभिमन्यु सिंह बनकर वादी मुकदमा से बात करता था और लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यरत बताता था। विवेक कुमार यादव उपरोक्त द्वारा ही वादी की पत्नी आधार कार्ड पैन कार्ड, फोटो, बैंक पास बुक अपने वाट्सअप पर मंगाकर फर्जी कागजात तैयार एवं विभिन्न स्कैनर भेजकर आनलाइन पैसा लिया गया। विवेचना से अभि० विवेक कुमार यादव उर्फ विनय पुत्र सुरेंद्र यादव उपरोक्त के विरूद्ध पर्याप्त साध्य पाये जाने पर धारा 66 सी व 66 डी आई0टी0 एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। अतः प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के गुण दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **विवेक यादव उर्फ विनय** की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या–39/2026, अं०धारा– 316(2),319(2),318(4),338,336(3),340(2),352,351(3) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66 सी०, 66 डी० आई टी एक्ट, थाना–कोतवाली नगर, जिला–रायबरेली के मामले में निरस्त किया जाता है।

(अनिल कुमार पंचम)
प्रथम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

Stenographer
Maneesha Kumari

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.06.24 00:06:43 IST
Reason: Order
Location: District and Sessions Court